.न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–5/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, बरेली
सत्र परीक्षण संख्या–39/2013
CNRNo.UPBR01-003290-2013
राज्य बनाम देवपाल आदि

अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0
थाना–फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली
मु0अ0सं0–717/2012

14.11.2019

पत्रावली कागज सं0–9ख पर आदेशार्थ नियत है।
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क दिनांक 02.11.2014 को सुने जा चुके है।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सत्र परीक्षण सं0–39/2013, मु0अ0सं0–717/2012 राज्य बनाम देवपाल आदि अन्तर्गत थाना 302 भा0दं0सं0 थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली में चार अभियुक्तगण देवपाल, लक्की उर्फ दीपक चतुर्वेदी, जतिन एवं निक्का उर्फ यशपाल सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सत्र परीक्षण में आरोप के गठन के बाद अभियुक्त जतिन की ओर से प्रार्थना पत्र 9ख धारा 7ए किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना दिनांक 26.09.2012 की है और घटना के दिनांक को प्रार्थी/अभियुक्त जतिन किशोर था, क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त जतिन की जन्म तिथि 12.03.1995 है। कथित घटना के दिनांक को प्रार्थी/अभियुक्त जतिन की आयु 17 वर्ष 06 माह 14 दिन थी। प्रार्थी जतिन को किशोर अपचारी घोषित कर उसकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड बरेली भेजे जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त जतिन ने अपना शपथ पत्र 10ख, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र वर्ष 2009 की प्रतिलिपि 11ख/1, हाईस्कूल अंक पत्र की प्रतिलिपि 11ख/2 प्रस्तुत की गयी है तथा सूची दिनांकित 21.09.2016 के द्वारा यूनिक माडल इण्टर कालेज फतेहगंज पश्चिमी बरेली द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है तथा सूची दिनांकित 20.04.2018 के द्वारा हाईस्कूल का मूल अंक पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी उपदेश सिंह की ओर से आपत्ति 30ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त जतिन पुत्र राजवीर सिंह ने स्वयं को घटना के दिनांक 26.09.2012 को नाबालिग कहते हुए अपनी जन्म तिथि 12.03.1995 बतायी है तथा अपनी उम्र के सम्बंध में अपना हाईस्कुल का प्रमाण पत्र दाखिल किया है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 12.03.1995 अंकित है। अभियुक्त जतिन के हाईस्कूल प्रमाण पत्र में लिखित उम्र संदिग्ध है तथा उसने अपनी जन्म तिथि गलत बतायी है। अभियुक्त जतिन का सर्वप्रथम प्रवेश सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली के कक्षा अरूण में दिनांक 20.07.1998 को हुआ है तथा उसने इस विद्यालय में कक्ष अरूण से कक्षा–3 तक शिक्षा ग्रहण की है। प्रवेश पत्र के कालम 4 में जन्म तिथि 20.06.1995 अंकित है तथा कालम–5 में आयु पहले 5 वर्ष लिखकर 5 काटा गया है तथा बाद में 3 वर्ष अंकित की गयी है। अभियुक्त जतिन के हाईस्कूल प्रमाण पत्र व सरस्वती शिशु मन्दिर के प्रवेश पत्र व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में जन्म तिथि अलग अलग अंकित होने के कारण जन्म तिथि संदिग्ध है। अभियुक्त जतिन ने दिनांक 01.10.2012 को पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराने पर अपनी उम्र 19 वर्ष बतायी है, जिससे भी स्पष्ट है कि वह घटना के समय बालिग था। नगर पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष 2011 वार्ड सं0–4 अंसारी दक्षिणी निकाय फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली में क्रम सं0–915 पर अभियुक्त जतिन की उम्र 21 वर्ष लिखी है, जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त घटना के समय बालिग था। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त जतिन की सही उम्र जानने के लिए उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। याचना की गयी है कि सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली के प्रधानाचार्य को प्रवेश पत्र व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के सम्बंध में साक्ष्य हेतु बुलाया जाये तथा अभियुक्त जतिन की सही उम्र जानने हेतु उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया

जावे। वादी ने अपनी आपत्ति के साथ अभियुक्त जतिन के सम्बंध में सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली के प्रवेश पत्र व टी0सी0 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी है।

जांच के अनुक्रम में साक्षी जसवीर सिंह पुत्र ब्रजपाल सिंह, सहायक अध्यापक यूनिक माडल इण्टर कालेज फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली उक्त कालेज के प्रधानाचार्य की ओर से उपस्थित हुए। उक्त साक्षी ने अभियुक्त जतिन की ओर से दाखिल टी0सी0 को प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी का सी0डब्लू0–1 के रूप में कथन अंकित किया गया। उक्त साक्षी ने न्यायालय में अपने शपथपूर्वक कथन किया है कि वे वर्ष 2008–09 का एस0आर0 रजिस्टर लेकर आये है। इस रजिस्टर में जतिन सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी दिवना पहुॅचा बरेली से सम्बंधित इन्ट्री नं0–1066 है, असल उनके सामने है, जिसमें जतिन सिंह की जन्म तिथि 12.03.1995 दर्ज है। यह एस0आर0 रजिस्टर पर इन्ट्री विपिन जायसवाल के लेख में है, उनके दस्तखत है तथा स्कूल के प्रिंसिपल वाले दीन पाल के दस्तखत मौजूद है। उन्होंने इन दोनों को लिखते पढ़ते देखा है, इनके लेख व दस्तखत पहचानता है। उक्त साक्षी ने टी0सी0 की छाया प्रति इस समय मौजूदा प्रधानाचार्य राधा जायसवाल व स्वयं के द्वारा प्रमाणित दाखिल की। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की सारणीयन पंजिका की छाया प्रति प्रधानाचार्य राधा जायसवाल द्वारा प्रमाणित दाखिल की, जिसमें जतिन की जन्म तिथि 12.03.1995 दर्ज है।

ए0डी0जी0सी0कि0 द्वारा प्रतिपृच्छा किये जाने पर इस साक्षी ने कहा कि विपिन जासवाल उनके विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है। एस0आर0 रजिस्टर व प्रवेश पंजिका विपिन जायसवाल की अभिरक्षा में रहती है। छात्र जतिन सिंह के प्रवेश के समय यूनिक माडल स्कूल तथा यूनिक माडल हाईस्कूल फतेहगंज पश्चिमी के दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य वाले दीन पाल ही थे। उनके विद्यालय में छात्र जतिन सिंह का प्रवेश 01.07.2004 को हुआ था तथा कक्षा–8 पास करने के बाद उसकी टी0सी0 प्रधानाचार्य वाले दीन पाल ने जारी की और स्वयं प्राप्त की, उसी टी0सी0 के आधार पर अपने ही विद्यालय में कक्षा–9 में दाखिल किया।

जांच के अनुक्रम में साक्षी दयाशंकर प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली उपस्थित हुए। उक्त साक्षी का सी0डब्लू0–2 के रूप में कथन अंकित किया गया। उक्त साक्षी ने न्यायालय में वादी मुकदमा उपदेश सिंह की ओर अभियुक्त जतिन के सम्बंध में दाखिल सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली के प्रवेश पत्र व टी0सी0 की छाया प्रतियों के सम्बंध में अपनी साक्ष्य दी है। उक्त साक्षी ने न्यायालय में अपने शपथपूर्वक कथन किया है कि वे वर्तमान में सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली में प्रधानाचार्य है और न्यायालय के सम्मन पर जतिन पुत्र राजवीर सिंह निवासी वार्ड नं0–4, निकट गैस एजेन्सी थाना फतेहगंज पश्चिमी का एस0आर0 रजिस्टर व प्रवेश फार्म मूल रूप से न्यायालय में लेकर आये है। प्रवेश फार्म शिशु जतिन सिंह के अभिभावक माता नीता सिंह द्वारा भरा गया है, जिसमें शिशु का नाम जतिन सिंह जन्म तिथि 20.06.1995 अंकित है, अंक में 2 के ऊपर ओवर राईटिंग है, आयु 5 अंकित करने के पश्चात् ओवर राईटिंग की गई है, पुनः 5 को काटा गया है, उसके आगे 3 वर्ष लिखा गया है, यह प्रवेश एन0सी0 क्लास का है। अभिभावक सम्बंधी जानकारी में पिता व अभिभावक का नाम श्री राजवीर सिंह, पूरा पता मो0 अंसारी निकट रामलीला, अस्थायी पता ग्राम दिवना पोस्ट दिवना, जिला बरेली। अभिभावक का व्यवसाय नौकरी, प्रदेश में निवास जन्म से, रूचि खेलने में, स्वाभाव चंचल, परिवार शिक्षित दर्ज है, तारीख 20.06.1998 अंकित है और माता नीता सिंह के हस्ताक्षर है। इसी प्रवेश द्वारा एस0आर0 रजिस्टर के पंजी क्रमांक 06 पृष्ठ क्रमांक 65, पंजीकरण क्रमांक 664 अंकित है, जिसमें विद्यार्थी की जन्म तिथि 20.06.1995 अंको व शब्दों में अंकित है। प्रवेश के पश्चात् दिनांक 01.07.2001 को कक्षा–3 में प्रवेश व दिनांक 16.05.2002 को कक्षा सं0–3 पास करने के पश्चात् दिनांक 01.07.2002 को विद्यार्थी जतिन सिंह का नाम पृथक किया गया, एस0आर0 रजिस्टर पर तत्कालीन प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर व मोहर अंकित है, जो उनके द्वारा प्रमाणित है। प्रवेश के समय अभिभावक नीता सिंह द्वारा जतिन की जन्म तिथि के सम्बंध में कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

अभियुक्त की ओर से प्रतिपृच्छा किये जाने पर उक्त साक्षी ने कहा है कि वे दिनांक 01.04.2016 को वहैसियत प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मन्दिर फतेहगंज पश्चिमी में तैनात हुए थे, उपरोत प्रवेश पत्र व टी0सी0 किसके लेख में है, उन्हें नहीं मालूम, तत्कालीन प्रधानाचार्य जिनके सम्बंध में उन्होंने उपरोक्त टी0सी0 का बयान दिया है, वह प्रधानाचार्य उनके साथ कभी तैनात नहीं रहे है, इसलिए वे उनके लेख व हस्ताक्षर को नहीं पहचानते है। प्रवेश पत्र की फाईल सरस्वती शिशु

मन्दिर में अलग से मेन्शन की जाती है, वह फाईल आज वे नहीं लाये है, बल्कि उस फाईल में जतिन सिंह का प्रवेश पत्र निकाल कर लाये है। प्रवेश पत्र के फार्म में जो नम्बर 48 लिखा है, यह सीरियल नम्बर प्रवेश पत्र की फाईल में पड़ा हुआ है, प्रवेश पत्र व टी0सी0 में क्रमांक हाथ से भरे हुए है, प्रवेश पत्र में कटिंग/ओवर राईटिंग किसने और कब की, यह वे नहीं बता सकते, जिस समय का यह प्रवेश पत्र है, उस समय आयु के सम्बंध में छोटे क्लास में आयु प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता था, वे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते है।

अभियुक्त जतिन की ओर से दाखिल अभिलेखों व साक्षी सी0डब्लू0–1 जसवीर सिंह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त अभिलेखों में अभियुक्त जतिन की जन्म तिथि 12.03.1995 अंकित है।

वादी उपदेश सिंह की ओर से दाखिल अभिलेखों व साक्षी सी0डब्लू0–2 की साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त अभिलेखों में अभियुक्त जतिन की जन्म तिथि 20.06.1995 अंकित है।

प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 26.09.2012 की होना अंकित है एवं हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार अभियुक्त जतिन की जन्म तिथि 12.03.1995 है एवं उसकी आयु दिनांक 12.03.12 को 17 वर्ष पूर्ण होती है तथा कथित अपराध कारित करने के दिनांक को अभियुक्त जतिन की आयु 17 वर्ष 06 माह 14 दिन होती है।

अभियुक्त जतिन की जन्म तिथि 20.06.1995 भी प्रारम्भिक विद्यालय के अनुसार मानी जावे तो भी घटना दिनांक को उसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है।

उपरोक्त जांच में आये साक्ष्य के समस्त विवेचना उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि जतिन की आयु कथित अपराध कारित करने के दिनांक 26.09.2012 को अठारह वर्ष से कम व सोलह वर्ष से अधिक थी। अतः वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है। तद्नुसार आवेदन कागज सं0–9ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जतिन को कथित घटना दिनांक 26.09.2012 को मुकदमा अपराध संख्या–717/2012 थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली के मामले में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक घोषित किया जाता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 9(3) के अन्तर्गत उसकी पत्रावली समुचित आदेश/कार्यवाही हेतु किशोर न्याय बोर्ड बरेली इस पत्रावली से पृथक कर प्रेषित की जावे।

सत्र परीक्षण की पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक **25.11.2019** को पेश हो।

(सत्यदेव गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0–5/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट,
बरेली